कार्यालय नगरपालिका परिषद, बहराइच।

पत्रांक–665/मु0न0सृ0योजना/नि0का0/ई–टेण्डर/2024 दिनांक 7 अक्टूबर, 2024

ई–निविदा सूचना

मुख्यमन्त्री नगर सृजन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में नगरपालिका परिषद, बहराइच की कार्ययोजना मे से स्वीकृत अवशेष 01 निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 रहित आनलाइन निविदायें ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर दिनांक 08/10/2024 को अपरान्ह 2:30 बजे से दिनांक 29/10/2024 को अपरान्ह 3:00 बजे तक निर्माण कार्यो के लिए वर्ष 2023–24 में नगरपालिका परिषद, बहराइच के साथ–साथ अन्य विभागों मे पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से प्रतिशत दर के आधार पर निम्नलिखित नियम एंव शर्तो के अधीन आमन्त्रित की जाती है। उक्त अवधि में ही ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर डाउनलोड करके अपलोड की जा सकती है। कार्य की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से नगरपालिका परिषद् बहराइच के एच0डी0एफ0सी0 बैंक में मुख्यमन्त्री नगर सृजन योजना के नाम से संचालित बचत खाता संख्या–50100494491581 IFS code HDFC0007523 में अथवा एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/ सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक हो जमा की जायेगी। निविदा मूल्य आनलाइन ही जमा किया जायेगा। आनलाइन अपलोड की गयी प्रत्येक निविदा से सम्बंधित अभिलेखों (जैसे जमानत धनराशि/निविदा मूल्य जमा रसीद, हैंसियत/चरित्र प्रमाण पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र इत्यादि) को ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। जिसकी तकनीकी विड दिनांक 29/10/2024 को अपरान्ह 4:00 बजे आनलाइन खोली जायेगी। अपलोड की गयी ई–निविदाओं में से किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को विना कारण वताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, बहराइच को होगा। तकनीकी विड में अर्ह पाये गये निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदायें आनलाइन ई–टेण्डर पोर्टल पर खोलने हेतु अपलोड की जायेंगी। कार्य का विवरण, अनुमानित लागत, 10 प्रतिशत धरोहर राशि/जमानत धनराशि, निविदा मूल्य सहित निम्नवत् है–

क0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जीएसटी रहित)	बी0क्यू0 की धनराशि (जीएसटी रहित)	10 % धरोहर /जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	जी0एस0टी0 18 %	ई–टेण्डरिंग शुल्क	निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर वार्ड के पटेल नगर कालोनी में डा0 पी0के0 वर्मा के मकान से सुशील श्रीवास्तव के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड का कार्य।	2541220.00	2541219.66	254122.00	2540.00	457.00	254.00	3251.00	03 माह

नियम व शर्ते–

1– ई–निविदादाता द्वारा उक्त कार्य की 10 प्रतिशत धरोहर राशि/जमानत धनराशि को अलग–अलग नगरपालिका परिषद, बहराइच के एच0डी0एफ0सी0 बैंक में मुख्यमन्त्री नगर सृजन योजना के नाम से संचालित बचत खाता संख्या– 50100494491581 IFS code HDFC0007523 में RTGS / NEFT के माध्यम से जमा करके जमा रसीद /यू0टी0आर नम्बर ई–निविदा पोर्टल पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। अथवा जमानत धनराशि की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/ सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक हो जमा करना होगा। निविदा मूल्य आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से ही जमा करना होगा।

2– ई–निविदा दाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैंसियत प्रमाण पत्र व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (जो निर्धारित समयावधि के अन्दर का हो) एंव निर्माण कार्यो हेतु किसी भी विभाग में फर्म के पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0, पैन कार्ड, श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र तथा रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित शपथ पत्र ई–टेण्डर पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा मूल शपथ पत्र एंव आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट की मूल जमा रसीद कार्यालय में जमा करना होगा।

3– समस्त निविदा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ही स्वीकार की जायेंगी, अन्य किसी माध्यम से कोई भी निविदा स्वीकार नही होगी।

4– निविदादाता द्वारा 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एंव निविदा मूल्य की धनराशि को अपने स्वयं के बैंक खाते से ही पालिका के उक्त वर्णित बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। अन्य किसी के बैंक खाते से जमा की गयी धनराशि मान्य नही होगी।

5– ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 में एंव श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

6– प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम निविदादाता (नगरपालिका परिषद बहराइच के पंजीकृत ठेकेदार /फर्म को छोडकर) को अनुबन्ध से पूर्व नगरपालिका परिषद, बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा तदोपरान्त नियमानुसार कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

7– स्थल पर कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की जांच ठेकेदार को अपने खर्च पर स्वयं करानी होगी।

8– निविदा की धनराशि में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सम्मिलित नही है, जिसका भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

9– उक्त कार्य हेतु कम से कम तीन–तीन निविदायें समस्त औपचारिकताओं सहित आन लाइन प्राप्त होने पर ही न्यूनतम निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

10 – सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

11– निविदा की विस्तृत जानकारी नगरपालिका परिषद, बहराइच के निर्माण अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

12– किसी भी पंजीकृत ठेकेदार का ठेका स्वीकृत होने /कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात यदि कभी भी संज्ञान में आता है कि सम्बंधित किसी भी अभिलेख (प्रमाण पत्रों)/नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह था अथवा सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामजिक कार्यो एंव संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो ऐसी दशा में प्रदान किया गया अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

13– नगरपालिका परिषद, बहराइच मे पजीकृत ठेकेदार/फर्मो को छोडकर निविदा में भाग लेने वाले अन्य विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मो को निर्माण कार्यो के सम्बध में पर्याप्त अनुभव प्रमाण पत्र भी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

14– स्थलीय सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता मे किसी प्रकार की कोई कमी पायी जाती है तो सम्बधित ठेकेदार/फर्म द्वारा तत्काल कार्य को मानक के अनुरूप निर्देशानुसार तत्काल ठीक कराना होगा अन्यथा कराये गये कार्य का कोई भी भुगतान नही किया जायेगा।

15– प्राप्त किसी भी ई–निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। इस सम्बंध मे किसी भी ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नही होगा। निविदा मूल्य नान रिफण्डेबुल है।

16– उक्त निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत आगणन के अनुसार ही स्थल पर मानक के अनुरूप गुणवत्ता परक कार्य निविदादाता को कराना होगा।

17– इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एंव तकनीकी त्रुटि के कारण टूट–फूट होती है तो निर्माण कार्यो के पूर्णतः की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रखरखाव ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

18– स्वीकृत कार्य को अनुमोदित आगणन की धनराशि पर ही पूर्ण कराया जायेगा।

19– कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एंव कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

20– स्थल पर कार्य के प्रगति पर होने अथवा पूर्ण होने के उपरान्त शासन द्वारा अनुदान की उपलब्धता के आधार पर एंव उपयोगिता अवधि बढाये जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

21– तकनीकी बिड में अर्ह पायी गयी निविदाओं की ही वित्तीय निविदायें आनलाइन ई–टेण्डर पोर्टल पर खोली जायेंगी।

22– प्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र सं0– 24वी0आई0पी0(1)/नौ–5–2017–120बजट/2013 दिनांक 24.08.2017 के प्रस्तर –2 में दिये गये आदेश के अनुपालन में निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 05 वर्ष का अनुरक्षण/रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बंधित ठेकेदार/फर्म की होगी। परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफारमेन्स गारन्टी के रूप में 05 वर्ष रोंकने के उपरान्त सडक के समुचित रखरखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।

23– उपरोक्त समस्त शर्तो का पालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

24– यदि उक्त तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदा खोलने की कार्यवाही अगले कार्य दिवस में की जायेगी।

25– समस्त निविदादाताओं को आनलाइन अपलोड की गयी निविदा के साथ समस्त संलग्नकों सहित प्रपत्रों की हार्ड कांपी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।

26– समस्त निविदादाताओं को विगत तीन वर्षो का आई0टी0आर0 प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

27– निविदादाता न्यूनतम निविदादाता की श्रेणी में तभी आयेगा जब उसके द्वारा अपलोड की गयी बिड कपेसिटी निविदा दाता के कुल बिड वैल्यू तक एंव उससे अधिक हो।

(प्रमिता सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

Sudha devi
(सुधा देवी)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

पृ0सं0 व दिनांक– उपरोक्त

प्रतिलिपि– 1– जिलाधिकारी महोदय बहराइच को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच को सूचनार्थ प्रेषित।

3– नगरपालिका परिषद, बहराइच के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

Scanned with OKEN Scanner